

तम्बाकू बोर्ड TOBACCO BOARD

(भारत सरकार, वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय) वाणिज्य विभाग

(Government of India, Ministry of Commerce and Industry)

Department of Commerce



(An ISO 9001: 2008 Certified Organisation

गुण्टूर / GUNTUR

प्ररूप / FORM - 14

(नियम 34 घ (5) और 35 (5) देखिए)

(See rules 34D (5) and 35 (5)

(वर्जीनिया तम्बाकू के प्रसंस्करणकर्ता के रूप में तम्बाकू या तम्बाकू उत्पादों के निर्यातकर्ता के रूप में या तम्बाकू कें पैकर अथवा नीलामकर्ता अथवा व्योहारी के रूप में रजिस्टीकरण का प्रमाणपत्र)

Certificate of Registration as Processor or Manufacturer of Virginia Tobacco or as Exporter of Tobacco or Tobacco Products or as Packer or Auctioneer of, or Dealer in Tobacco.

पंजीकरण सं : REGISTRATION No. *** TB/EXP. TOB. PR. /2014/367**

एक वर्ष के लिए विधिमान्य **2014**
Valid for one Year
से तक
From 01/01/2014 0 31/12/2014

यह प्रमाणित किया जाता है कि मैसर्स / श्री को तम्बाकू बोर्ड के पास के रूप में तम्बाकू बोर्ड अधिनियम, 1975 (1975 का. 4) की धारा 12 या 11 और उसके अधीन बनाए गए नियमों के अधीन राजिस्टर किया गया है। यह प्रमाण पत्र निम्निलिखित शर्तों के अधीन रहते हुए और ऐसी अन्य शर्तों के अधीन रहते हुऐ, जो समय-समय पर तम्बाकू बोर्ड द्वारा अधिरोपित की जाए, जारी किया जाता है:-

This is to certify that M/s. **MANDALIA OVERSEAS CORPORATION, MUMBAI**

has been registered with the Tobacco Board ** EXPORTER OF TOBACCO PRODUCTS **
under Section 12 or 11A of the Tobacco Board Act, 1975 (4 of 1975), and the rules made thereunder. This certificate is issued subject to the following conditions and subject to such other conditions as may be imposed by the Tobacco Board from time to time:-

- (1) यह कि इस प्रमाणपत्र का धारक तम्बाकू बोर्ड अधिनियम, 1975 के उपबन्धों और उसके अधीन बनाए गए नियमों का पालन करेगा, That the holder of this certificate shall abide by the provisions of the Tobacco Board Act, 1975 and the rules made thereunder,
- (2) यह कि इस प्रमाण पत्र का धारक ऐसे रजिस्टर रखेगा और तम्बाकू बोर्ड को ऐसी विवरणियाँ प्रस्तुत करेगा, जो उसके द्वारा यथास्थिति रखे जाने या प्रस्तुत किये जाने के लिए अपेक्षित है।

That the holder of this certificate shall maintain such registers and submit such returns to the Tobacco Board as are required to be maintained or submitted by him as the case may be.

(3) यह कि इस प्रमाणपत्र का धारक तम्बाकू बोर्ड अधिनियम के उपबन्धों और उसके अधीन बनाए गए नियमों और विशिष्टित उत्त अधिनियम की धारा 8 के अनुसरण म समय-समय पर तम्बाकू बोर्ड द्वारा जारी किए गये या जारी किये जानेवाले, सभी विनियमो निर्देशों, आदेशों उपबन्धों निबधतों और शर्तों का पालन करेगा।

That the holder of this certificate shall comply with all regulations, directions, orders, stipulations, terms and conditions issued or which may be issued by the Tobacco Board from time to time in pursuance of the provisions of the Tobacco Board Act and the rules made there-under, and in particular section 8 of the said Act.

रजिस्टर करनेवाल - प्राधिकारी के हस्नाक्षर Signature of the Registering Authority